न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी— श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./96/2025/बाड़मेर

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. किस्तुराराम पुत्र चिमाराम, उम्र 32 वर्ष 2. खेमाराम पुत्र चिमाराम, उम्र 35 वर्ष 3. दौलाराम पुत्र चिमाराम, उम्र 30 वर्ष 4. पेमी पुत्री चिमाराम, उम्र 28 वर्ष 5. भोमाराम पुत्र चिमाराम, उम्र 39 वर्ष 6. वेहनाराम पुत्र चिमाराम, उम्र 41 वर्ष, जाति जाट, निवासी बांकासर सरली, तहसील बाडमेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर।	1. पूराराम पुत्र हेराजराम, उम्र 52 वर्ष 2. भूराराम पुत्र देदाराम, उम्र 30 वर्ष 3. तगाराम पुत्र मानाराम, उम्र 72 वर्ष 4. पारू पत्नी देवाराम, उम्र 44 वर्ष 5. बाबूदेवी पत्नी चूनाराम, उम्र 46 वर्ष, जाति जाट, निवासी बांकासर सरली, तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर। 6. देवाराम पुत्र टीकमाराम, उम्र 67 वर्ष 7. भूराराम पुत्र जैसाराम, उम्र 47, जाति जाट, निवासी बाड़मेर मगरा, तहसील व जिला बाड़मेर। 8. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 30/2023 बउनवान पूराराम वगैरह बनाम किस्तुराराम वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश एन. सारण रेस्पो. सं. 1 से 2 की ओर से।
3. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—10.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा बांकासर, पटवार क्षेत्र सरली, तहसील बाडमेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर के खसरा सख्या 831 रकबा 17.8628 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादगस्त आराजी में वादी/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट का अपने—अपने हिस्से अनुसार सहकृषक बहैसियत कब्जा—काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में हिस्से अंकित हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कब्जा–काश्त हैं। वर्तमान में वादी व प्रतिवादी के बीच में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण खेत में हिस्से को लेकर विवाद बना रहता है। ऐसी स्थिति में वादीगण (प्रत्यर्थीगण) वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलांट को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 25.06.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा बांकासर, पटवार क्षेत्र सरली, तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर के खसरा सख्या 831 रकबा 17.8628 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादगस्त आराजी में वादी/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट का अपने–अपने हिस्से अनुसार सहकृषक बहैसियत कब्जा–काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में हिस्से अंकित हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान कब्जा–कांश्त है। वर्तमान में वादी व प्रतिवादी के बीच में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण खेत में हिस्से को लेकर विवाद बना रहता है। ऐसी स्थिति में वादीगण (प्रत्यर्थीगण) वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का रेस्पोंडेन्ट द्वारा वाद पेश किया था। जिस पर अपीलांट को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 25.06.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, अधीनस्थ न्यायालय का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए जल्दबाजी में मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 2003 आर.आर.डी. 504 श्रीमती चन्दा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित किया है कि **Justice hurried is justice buried.** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाब दावा लिये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराज़ी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया की अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय आपीलांट को बिना तामील के पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। इस त्रुटिपूर्ण आदेश का ज्ञान अपीलांटगण को होते ही अपीलांट के द्वारा उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और नकलें प्राप्त की गयी। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट द्वारा वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारां 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 30/2023 बउनवान पूराराम वगैरह बनाम किस्तुराराम वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

25.06.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

10/10/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/10/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर